Mill Products

ANNEX-I

M-I

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)
Appearing on Page No. 8014-8040
Dated - 16-12-2000

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2000

का. आ. 2719.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए दुग्ध उत्पादों के निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार कतिपय प्रस्ताव भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 06-05-2000 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के आदेश का. आ. 939 तारीख 19-04-2000 द्वारा में प्रकाशित किया गया था,

2. और, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे, और प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 11 मई, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी,

3. और, यह आवश्यक है कि क्वालिटी के उच्चतम मानकों को और निमत स्वास्थ्य अपेक्षाओं को जो कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विहित मानकों को और लक्षित है, बनाए रखा जाएगा,

4. और स्वास्थ्य अपेक्षाएं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन के लिए अधिकथित होनी चाहिए,

5. और, विशिष्ट रूप से यह भी महत्वपूर्ण है कि स्थापनों के अनुमोदन को शासित करने के लिए नियम अधिकथित किए जाएं,

6. और यह भी महत्वपूर्ण है कि दुग्ध उत्पादों द्वारा पूरी की जाने वाली स्वास्थ्य अपेक्षाओं अधिकथित की जाएं,

7. और प्रसंस्करण करने वालों का प्राथमिक दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि दुग्ध उत्पाद इस आदेश में अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं,

8. और, सक्षम प्राधिकारी अनिवार्य रूप से क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रसंस्करणकर्ता ऊपर वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं,

9. और, नियमों द्वारा शासित क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को निर्धारण किया जाना चाहिए, पूर्ण करते हों,

10. और, आकस्मिक जांच अनिवार्य रूप से पदार्थों के अवशिष्टों का पता लगाने के लिए की जानी चाहिए जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं,

11. और, आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं के दिशों में समानता की उपरोक्त शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग की प्रक्रिया बनाए रखने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए

12. और, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्वालिटी मानकों का देश में प्रभावी ढंग से अनुपालन हो रहा है,

13. और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं, और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है,

14. अतः अब, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद के परामर्श के उपरान्त यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, अर्थात् :—

(क) यह अधिसूचित किया जाए कि दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा,

(ख) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस आदेश से संलग्न उपलब्ध उपबंध में उपवर्णित दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम 2000 के प्रारूप के अनुसार ऐसे क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे दुग्ध उत्पादों पर निर्यात करने से पूर्व लागू होगा।

(ग) इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची में उपवर्णित विनिर्देशों को दुग्ध उत्पादों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान किसी यूनिट द्वारा दुग्ध उत्पादों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि वह लागू मानकों के अनुरूप न हो तथा उसके साथ ऐसा कथन करने वाला प्रमाण पत्र कि ऐसे यूनिट निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा अनुमोदित और मानीटर्ड है, न लगा हो।

15. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, या समुद्र या वायुमार्ग द्वारा दुग्ध उत्पादों के उन वास्तविक नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य समय-समय पर एक्सिम पालिसी में यथा अधिकथित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं होगा और जहां ऐसे उपबंध नहीं हैं वहां निशुल्क नमूना/नमूने की मूल्य सीमा रु. 10,000/- से अधिक नहीं होगी।

16. इस आदेश में "दुग्ध उत्पाद" से अभिप्रेत है दुग्ध उत्पाद अर्थात् जो कि अनन्य रूप से दुग्ध से प्राप्त किए गए हैं यह स्वीकार है कि पदार्थ जो कि उनके निर्माण के लिए आवश्यक हैं, उन्हें बढ़ाया जा सकता है, परन्तु यह कि उन पदार्थों का उपयोग दुग्ध के संघटनों के भाग या पूर्ण रूप में प्रतिस्थापित न किया जा रहा हो, और विविध दुग्ध उत्पादों जिनको किसी भाग या किसी दुग्ध संघटक को प्रतिस्थापित करने के आशय से और जिसका दुग्ध या दुग्ध उत्पाद का आवश्यक भाग है या उत्पाद के लक्षण वर्णन के लिए या माला की निबंधन से आवश्यक भाग है।

अनुसूची

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की, धारा 6 के खंड (ग) के अनुसार मान्यता प्राप्त दुग्ध उत्पादों के लिए विनिर्देश निम्नलिखित होंगे :—

(क) आयातित देशों के राष्ट्रीय मानक या कोडेक्स स्टेंडर्ड ऑफ कोडेक्स एलमेंट्रीअस कमीशन,

या

(ख) विदेशी क्रेता और निर्यातकों के बीच स्वीकृत किए गए संविदा विनिर्देश राष्ट्रीय मानकों के समान कम नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त (क) या (ख) की अनुपस्थिति में यथा अधिसूचित राष्ट्रीय मानक विनिर्देश लागू होंगे।

(घ) किसी दुग्ध उत्पादों की दशा में जिसके लिए (क), (ख) और (ग) के मानक उपलब्ध नहीं हैं, इन उत्पादों के लिए निम्नलिखित सदस्यों की स्थायी समिति द्वारा बनाया गया मानक लागू होगा।

1.	अध्यक्ष कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	संयुक्त आयुक्त (डेयरी) पशुपालन और दुग्ध उद्योग विभाग कृषि मंत्रालय	सदस्य
3.	उप आयुक्त (डेयरी विकास) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
4.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल	सदस्य
6.	भारतीय डेयरी संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	निर्यात निरीक्षण परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य

[फाईल सं. 6/1/2000-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

पी. के. दास, निदेशक

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 28th November, 2000

S.O. 2719.—Whereas, for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting milk products to Quality Control and Inspection prior to export, were published as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules 1964 in the Gazette of India of Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6-5-2000 vide order No. S.O. 939 dated 19-4-2000 of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce;

2. And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty five days of the copies of the said Gazette were made available to the public on 11-5-2000.

3. And, whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed in National/International level;

4. And, whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of milk products;

5. And, whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishments;

6. And, whereas, it is important also that the health requirements to be met by milk products be laid down;

7. And, whereas, it is the primarily responsibility of the processors to ensure that Milk products meet the health requirements laid down in this order;

8. And, whereas, the Competent Authority must be carrying out Quality Control, Inspection and monitoring, to ensure that processors comply with the above mentioned requirements;

9. And, whereas, the rules governing these Quality Control Inspections and Monitoring must take account of the demands of the international market;

10. And, whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health;

11. And, whereas, provisions should therefore, be made as a procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries.

12. And, whereas, Central Government nominated Competent Authority to ensure the effective compliance of the quality standards in the country;

13. And, whereas, the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to be Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality, Control and Inspection) Rules, 1964;

14. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so, for the development of the export trade of India, hereby,

(a) notifies that milk products shall be subjected to quality control and inspection prior to export;

(b) specifies the type of quality control and inspection in accordance with Export of milk products (Quality control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such milk products prior to export;

(c) recognises the specifications as set out in Schedule appended to this order as the standard specifications for milk products;

(d) Prohibits the export of milk products by a unit in the course of international trade unless it conforms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating that such unit is approved and monitored by the Export Inspection agency established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

15. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of milk products to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in EXIM Policy from time to time and where no such provisions exist the value limit of free sample(s) shall not exceed Rs. 10,000.

16. In this order, milk products means :—Milk products, namely products exclusively derived from milk, it being accepted that substances necessary for their manufacture may be added, provided that these substances are not used to replace in part or in whole any milk constituents, and composite milk products of which not part replaces or is intended to replace any milk, constituents and of which milk or a milk products is an essential part either in terms of quantity or for characterization of the product.

SCHEDULE

Specifications for Milk Products recognised as per Clause section 6 of the export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 shall be :

(a) National Standard of the importing countries or codex Standards of codex Alementerlours Commission.

OR

(b) Contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporters provided the same is not below the national standards.

(c) In the absence of (a) or (b) above, the National Standard Specifications as notified shall apply.

(d) In case of any Milk Products for which no standard ~~is available at (a), (b) and (c) above, the standard~~ formulated for these products by the Standing Committee of the following members shall be made applicable.

1. Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority	Chairman
2. Joint Commissionr (Dairy) Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture	Member
3. Deputy Commissioner (Dairy Development) Ministry of Food Processing Industries	Member
4. One representative of National Dairy Development Board	Member
5. Director National Dairy Research Institute, Karnal	Member
6. One representative of Dairy Association of India	Member
7. Representative of Export Inspection Council	Member

[F. No. 6|1|2000-EI&EP]
P. K. DAS, Director